छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर – 492001

क्रमांक एफ 1–1/2003/1–7, **रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल, 2010**

प्रति,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   छत्तीसगढ़ शासन,
   मंत्रालय, रायपुर ।

2. अध्यक्ष
   राजस्व मंडल, बिलासपुर छ0ग0 ।

3. समस्त संभागीय आयुक्त,
   छत्तीसगढ़ ।

4. समस्त विभागाध्यक्ष,
   छत्तीसगढ़ ।

5. समस्त कलेक्टर,
   छत्तीसगढ़ ।

विषयः– मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–68(2) के तहत भारत सरकार द्वारा उत्तरवर्ती राज्यों को अंतिम रूप से आंबटित शासकीय सेवकों के लिए नियम/निर्देश जारी करने के संबंध में ।

संदर्भः– इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 09.06.2008 ।

––00––

संदर्भित परिपत्र द्वारा छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश राज्य की सेवा के राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों की पारिवारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए उत्तरवर्ती एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण के संबंध में महिला कर्मचारियों, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी एवं पति पत्नी के स्थानांतरण की सुविधा मध्यप्रदेश शासन की सहमति से दिनांक 09 जून 2008 से दो वर्ष के लिए प्रदान की गई थी ।

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (रापुप्र) के परिपत्र दिनांक 24 मार्च 2008 द्वारा जारी किये गये निर्देश जिसकी अवधि दिनांक 23 मार्च 2010 को समाप्त हो जाने के कारण मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (रापुप्र) ने छ0ग0 शासन की सहमति पश्चात दिनांक 09.04.2010 द्वारा निर्देश जारी किया गया है, अब छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी निर्णय लिया गया है कि **"महिला कर्मचारियों, पति पत्नी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश राज्य स्थानांतरण" करना अत्यन्त आवश्यक हो तो, उन्हीं प्रकरणों पर दोनों राज्यों के प्रशासकीय विभाग की सहमति उपरांत छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश, सामान्य प्रशासन विभागों की सहमति प्राप्त कर कैडर स्थानांतरण करने की कार्यवाही की जा सकेगी ।"**

....2

2/ इस संबंध में पूर्व में जारी म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (रापुप्र) के परिपत्र दिनांक 24 मार्च 2008 एवं छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (रापुप्र) के परिपत्र दिनांक 09 जून 2008 में दिए गए प्रावधान यथावत है ।

(ए0के0 टोप्पो)
अतिरिक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 1—1/2003/1—7, रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल, 2010

प्रतिलिपि :—

उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ 1—1/2001/4(2)रापुप्र/1, दिनांक 07.04.2010 के संदर्भ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग